ऑन लाईन नं. GCMS 2019/00143

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 26/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री गुरूप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह रामगढिया —नमूना विकेता—
   मैसर्स :—दशमेश डेयरी, गांधी पार्क के सामने , श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी —36 एच, नग्गी, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मिठू सिंह। —लाईसैंसी—
   मैसर्स :—दशमेश डेयरी, गांधी पार्क के सामने, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी:— 36 एच नग्गी, तहसील श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 की धारा 26(2)(2)/51

निर्णय दिनांक : 03.03.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.05.2017 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2018 को दोपहर 11.30 ए.एम. बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैंकिंग फर्म मै0 दशमेश डेयरी, गांधी पाके के सामने, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर श्री गुरूप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उपस्थित मिला। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर उपरोक्त डेयरी का निरीक्षण किया तो मौके पर एक फ्रिज टंकी में लगभग 30 लीटर **Cow Milk** आम जनता को विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर इनमें से 2 लीटर **Cow Milk** नमूना जांच संख्या **K-929** नमूनीकरण के लिये खरीदा जिसकी कीमत 56/—रूपये (अखरे रूपये छप्पन मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री सुभाष बिश्नोई के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर 5ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर **Cow Milk** विक्रेता श्री गुरूप्रीत सिंह एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Cow Milk** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर भागों में डालकर पिजर्वेटिव मिलाकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं टेप चिपकाकर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्मांक **K-929** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलो पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर और कागज को सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप कोड एवं अनुक्मांक **K-929** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना विक्रेता को यह बताने के बाद कि वह चाहे तो नमूने के चौथे भाग को किसी **NABL Laboratory** से जांच करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। चारों नमूना भागों को श्री हरीराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता श्री गुरूप्रीत सिंह ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1937 / एक्ट / 2018 / 1428 दिनांक 14.11.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-929** " **Cow Milk** " **अमानक स्तर** (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री गुरूप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति रामगढिया मैसर्स दशमेश डेयरी, गांधी पार्क के सामने श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर " **Cow**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

**Milk** " का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 2006 की धारा 26(2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत कार्यवाही की गई है। प्रार्थी गाय का दूध अच्छी क्वालिटी का रखता है व करनपुर मण्डी में सबसे पुरानी दशमेश डेयरी चलाता आ रहा है। मेरे साथ मेरे पिताजी प्रेम सिंह भी काफी पहले से डेयरी को सुचारू रूप से चलाते थे। प्रार्थी की दशमेश डेयरी का करनपुर इलाके में और गांवों में काफी नाम है। प्रार्थी ने अपने घर में उच्च नस्ल की गांय रखी है जो काफी अधिक दूध देती है व प्रार्थी आसपास के गावों से भी दूध इकठ्ठा करके लाता है जो दशमेश डेयरी करनपुरमें आकर लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्योर दूध बेचता है इसलिये प्रार्थी के गायों के दूध का सैम्पल जो भरा गया है वह गलत भरा गया है प्रार्थी के जो ग्राहक है उनसे नहीं पूछा गया है और ना ही कोई जांच सही तरीके से की गई है और ना ही मौका पर आसपास से साक्ष्य ली गई है प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आज तक दूध में मिलावट नहीं की गई है और ना ही आगे कभी भविष्य में दूध मिलावट करने की सोच भी नहीं सकता। प्रार्थी पढा लिखा है और इसलिये भलिभांति जानता है कि मिलावट का क्या प्रमाण होता है। अतः जवाब प्रार्थी द्वारा पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी की दशमेश डेयरी पर जो खाद्य सुरक्षा में जो दूध का सैम्पल भरा गया हे वह गलत भरा गया है इसे खारिज किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी वहस में वताया कि अभियुक्त से लिया गया " **Cow Milk** " का सैम्पल **K-929** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1937/एक्ट/2018/1428 दिनांक 14.11.2018 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। लिये गये सैम्पल में अपमिश्रण होना नहीं पाया गया है और न ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार विन्दु संख्या 03– Added synthetic colouring matter- Synthetic Food Colour Tartrazine Present पाया गया जवकि Absent as per memorandum होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही वहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी के विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत कार्यवाही की गई है। प्रार्थी गाय का दूध अच्छी क्वालिटी का रखता है व करनपुर मण्डी में सबसे पुरानी दशमेश डेयरी चलाता आ रहा है। मेरे साथ मेरे पिताजी प्रेम सिंह भी काफी पहले से डेयरी को सुचारू रूप से चलाते थे। प्रार्थी की दशमेश डेयरी का करनपुर इलाके में और गांवों में काफी नाम है। प्रार्थी ने अपने घर में उच्च नस्ल की गांय रखी है जो काफी अधिक दूध देती है व प्रार्थी आसपास के गावों से भी दूध इकठ्ठा करके लाता है जो दशमेश डेयरी करनपुरमें आकर लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्योर दूध बेचता है इसलिये प्रार्थी के गायों

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के दूध का सैम्पल जो भरा गया है वह गलत भरा गया है प्रार्थी के जो ग्राहक है उनसे नहीं पूछा गया है और ना ही कोई जांच सही तरीके से की गई है और ना ही मौका पर आसपास से साक्ष्य ली गई है प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आज तक दूध में मिलावट नहीं की गई है और ना ही आगे कभी भविष्य में दूध मिलावट करने की सोच भी नहीं सकता। प्रार्थी पढा लिखा है और इसलिये भलिभांति जानता है कि मिलावट का क्या प्रमाण होता है। अतः जवाब प्रार्थी द्वारा पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी की दशमेश डेयरी पर जो खाद्य सुरक्षा में जो दूध का सैम्पल भरा गया है वह गलत भरा गया है इसे खारिज किया जावें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Cow Milk** " bearing Code No. and Sr. No. K-929 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Substandard Food Under Section 3[1][zx] of FSS Act ,2006 due to low contents of Milk solids not fat. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त ने Substandard Food, **Cow Milk** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अतः अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 30000–00 (अखरे रूपये तीस हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Cow Milk** " उच्च क्वालिटी का विक्रय करें, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर